अ.शा.परिपत्र संख्या-डीजी- 7 /2014

रिज़वान अहमद
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनॉकः फरवरी 01, 2014

प्रिय साथियों

मैं आपका ध्यान थाने के भारसाधक अधिकारी के निहित कर्तव्यों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जो पुलिस रेगुलेशन के अध्याय-5 के प्रस्तर-43 से 48 तक अभिलिखित हैं। इन प्राविधानों के अन्तर्गत थाने का भारसाधक अधिकारी अन्य कर्तव्यों के साथ-साथ अधीनस्थों की दक्षता, उनके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए तथा जनता से हार्दिक सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। आप, कदाचित, सहमत होंगे कि वर्तमान में थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उक्त लिखित कर्तव्यों के प्रति उदासीनता का परिचय देते हुए काफी हद तक केवल औपचारिकता का ही निर्वहन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भारसाधक अधिकारी अपने अधीनस्थों पर पूर्ण नियन्त्रण रखने तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उच्चकोटि की दक्षता लाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी परिणति अन्ततः पुलिस की जनता से सहयोग पाने की क्षमता में उत्तरोत्तर ह्रास के रूप में परिलक्षित हो रही है ।

2. मैं चाहूंगा कि हम सब इस ओर अपना ध्यान केन्द्रित कर थाने के भारसाधक अधिकारी को पुलिस रेगुलेशन में वर्णित उपरोक्त कर्तव्यों के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करें। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मैं निम्नवत अपेक्षा करता हूं-

(1) प्रातः 0800 बजे तक थानाध्यक्ष अपने थाने एवं मालखाने के निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित करेगा कि थाने का सम्पूर्ण स्टाफ थाना परिसर में फाल-इन हो। इस प्रातःकालीन परेड में थानाध्यक्ष समस्त स्टाफ को ब्रीफ करेगा, उस दिन किए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में भलीभांति समझायेगा तथा साथ ही एक दिन पूर्व सौंपे गए कार्यों के अनुपालन की जानकारी प्राप्त करेगा। पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-546 के अनुसार ब्रीफिंग के पश्चात 0830 से 0900 बजे के मध्य अधीनस्थों के स्वास्थ्यवर्धन हेतु ड्रिल अथवा पी.टी. करायेगा ।

(2) पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-44 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र का सम्पूर्ण ज्ञान अर्जित करेगा तथा क्षेत्र के प्रमुख लोगों से परिचित भी होगा तथा उन सभी से शिष्टता से व्यवहार करते हुए उनका हार्दिक सहयोग प्राप्त करेगा। कर्तव्यों के उच्चकोटि के निर्वहन के लिए आवश्यक है कि थानाध्यक्ष हर माह थाना परिसर में क्षेत्र के 50-100 सम्भ्रान्त लोगों की एक बैठक का आयोजन करेगा तथा इन व्यक्तियों के सीधे वार्तालाप कर अपने क्षेत्र की गतिविधियों के सम्बन्ध में उनसे जानकारी प्राप्त करने के साथ ही साथ यह भी ज्ञात करेगा कि उसके थाने पर नियुक्त अधीनस्थों का जनता के साथ व्यवहार कैसा है, क्षेत्र में कर्तव्यों के निर्वहन की स्थिति एवं तरीके कैसे हैं तथा किसी पुलिस कर्मी की अपराधियों के साथ साठ-गांठ तो नहीं है ?

3. मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यदि पर्यवेक्षक अधिकारी शुद्ध अन्तःकरण से पुलिस रेगुलेशन में वर्णित उक्त कर्तव्यों का अनुपालन अपने क्षेत्र के भारसाधक अधिकारियों से कराने हेतु उन्हें अभिप्रेरित कर सकें तो निश्चय ही इसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे और पुलिस जनता का और अधिक सहयोग प्राप्त करने में सफल होगी । यहां यह स्पष्ट करना भी समीचीन होगा

कि इन निर्देशों के माध्यम से किसी नई परम्परा की शुरूआत नहीं की जा रही है, अपितु उन कर्तव्यों के अनुपालन की ही बात कही जा रही है, जो पुलिस रेगुलेशन में वर्णित हैं और दुर्भाग्यवश समय से साथ-साथ भुला दिए गए हैं। अनुरोध है कि आप थाने के भारसाधक अधिकारियों को उनके दायित्वों की सही अर्थों में जानकारी कराते हुए तदनुसार उनका अनुपालन सुनिश्चित करायें। थाना प्रभारियों के वार्षिक मन्तव्य अंकित करते समय उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में टिप्पणी अवश्य अंकित की जाय। पुलिसिंग में बेहतर परिणामों की प्राप्ति हेतु आपके स्तर पर उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की निरन्तर समीक्षा आवश्यक है ।

भवदीय

1/2/14

(रिज़वान अहमद)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स/रेलवेज, उ0प्र0।
समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवेज, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/रेलवेज उ0प्र0 ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर पुलिस महानिदेशक 'अपराध', उ0प्र0 ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक 'कानून एवं व्यवस्था', उ0प्र0 ।